

फर्द अहकाम
 प्रभूनारायण बनाम मोहन लाल

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
20/5/24		पत्रावली पेश हुई। नवीन पत्रावली न प्रेषित की। न 2 उपरोक्त पत्रावली को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। पत्रावली पेश की गई। साक्ष्य पत्रावली हेतु 10/6/24 को पत्रावली उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
4/6/24		पत्रावली पेश हुई। पीठ के माध्यम से कार्यवाही के लिए कहा है। पत्रावली पेश की गई। दिनांक 21/6/24 को पेश हो।
25/6/24		पत्रावली पेश हुई। वकील रामचरण उग्र पत्रावली पेश करने के लिए 21/7/24 को पत्रावली उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
2/7/24		पत्रावली पेश की गई। निम्न सूची के द्वारा आज के कारण से कार्यवाही में बाधा नहीं आ सकती। पीठ के माध्यम से कार्यवाही में व्यवस्था है। अतः पत्रावली पेश की गई। दिनांक 21/7/24
30/7/24		पत्रावली पेश हुई। पीठ के माध्यम से कार्यवाही के लिए कहा है। पत्रावली पेश की गई। दिनांक 21/9/24 को पत्रावली पेश की गई।
2/8/24		पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली न प्रेषित की। न 2 उपरोक्त पत्रावली को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। पत्रावली पेश की गई। दिनांक 21/8/24 को पत्रावली पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)



26/10/24
 5986
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर जिला जयपुर
 वाद सं. 143/2021
 प्रभूनारायण पुत्र श्री छोटीलाल, उम्र 80 वर्ष, निवासी-ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

- वादी
- बनाम
1. मोहन लाल चौधरी पुत्र श्री छोटीलाल सिंघानिया
 2. ज्ञानचन्द चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर
 3. कालूराम चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर
 4. रामकरण चौधरी पुत्र रामेश्वर
 निवासीयान-सिंघानिया कृषि फार्म, ग्राम धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
 5. के.सी पत्नी कमल सिंधी, निवासी- के.सी फ्रैशन्स अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, राज.।
- प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

श्रीमानजी,

सेवामें वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यह कि वाके ग्राम सुखिया, पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित जिसके नया खाता संख्या 20 व पुराना खाता संख्या 20 के खसरा नम्बर 4/3 रकबा 0.0600 हेक्टेयर कुल

